## राजस्थान सरकार वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.9(3)वित्त / पेंशन / 2023 निदेशक. पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:-

3 0 2024

विषय:—सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के मामलों में देय Life Time Arrear (LTA) कें सबंध में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र से विमुक्त करने बाबत। सन्दर्भः—आपका पत्र क्रमांक प. 5 (324) निपेवि / नियम / 2021 /

पार्ट-02 / 3466-एच दिनांक 18.12.2023

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के क्रम में वित्त (नियम) विभाग को प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर, उनके द्वारा बारकोड संख्या 592300187 दिनांक 29.01.2024 के द्वारा निम्न टिप्पणी की गई है:-

As per 145(1) under RCS (Pension) Rules, 1996, (referred at para 214/N) no legal authority is required if the valid nomination is as Payment of Arrears of Pension per Commutation(Nomination) Rules, 1996. It is also provided under this rule that arrears of pension shall be paid to the recipient of the family pensioner of the deceased. Therefore, AD is advised to dispose the matter as per rule 145(1) of RCS (Pension) Rules, 1996 without insisting on indemnity bond in the cases where the valid nominee is available Payment of Arrears per Commutation(Nomination) Rules, 1996 and also to the recipient of of Pension the family pensioner of the deceased.

This bears approval at the competent level in FD.

भवदीय,

(धनलाल शेरावत) 30/01/24

संयुक्त शासन सचिव